

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 1201 /

वाद सं० एल-0100/एस-3/2024

दिनांक: 20/7/ 2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री बृजेश कुमार, श्री नीलकंठ जोशी, श्रीमती दमयन्ती कण्डवाल, श्रीमती गिरिजा सेमवाल, श्रीमती सुनीता भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार, सोनिया विहार नवादा रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 04 बीघा भूमि पर भू-विन्यास/डिमार्केशन का कार्य पूर्व से किया गया है जिसका तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है, जिस कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं० एल-0100/एस-3/2024 योजित किया गया। उक्त समस्त अनाधिकृत प्लानिंग को दिनांक 31.07.26 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिसस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/विविध-जे०ए०/2024 दिनांक -07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग हेतु नामित किया गया है अतः उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

2. थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी, को पर्याप्त पुलिस बल(महिला पुलिस बल) उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

3. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत प्लानिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को दो वाहन एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. विपक्षी श्री बृजेश कुमार, श्री नीलकंठ जोशी, श्रीमती दमयन्ती कण्डवाल, श्रीमती गिरिजा सेमवाल, श्रीमती सुनीता भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार, सोनिया विहार नवादा रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित उपरोक्त तिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें। एवं स्थल से अपना सम्मस्त सामान हटा लें। शेष नियम व शर्तें पूर्व आदेश पत्रांक मीमो दिनांक 07.08.2024 के अनुसार मान्य होंगी।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।